वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 06.08.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 06.08.2025

वीडीए ने कराई दो अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से मंगलवार को सारनाथ वार्ड में दो अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। सारनाथ में अज्ञात की ओर से पियरी स्वर्वेद मंदिर चौबेपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 3500 वर्ग मीटर में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। जिसे ध्वस्त कराया गया है। सारनाथ के चिरईगांव बलुआ रोड पेट्रोल पंप के पीछे अज्ञात की ओर से बिना ले उट स्वीकृत कराए 1500 वर्ग मीटर में अवैध प्लॉटिंग की की जा रही थी, जिसे ध्वस्त कराया गया। वीडीए के जोनल अधिकारी श्री प्रकाश और अवर अभियंता विनोद कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यूरो

वीडीए ने तीन अवैध निर्माण सील किए

वाराणसी। वीडीए की ओर से मंगलवार को अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर तीन स्थलों को सील किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि पार्वती सेठ की ओर से गिरी नगर महमूरगंज में अवैध निर्माण कराया गया था। मुकेश सिंह की ओर से जूना अखाड़ा अवधगर्बी शिवाला में बिना मानचित्र स्वीकृत निर्माण किया गया था। आरिफ जमाल की ओर से चेत सिंह किला शिवाला में बिना मानचित्र निर्माण कराया जा रहा था। जिसे पूर्व में नोटिस दिया गया था। जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अवर अभियंता सोनू कुमार की देखरेख में कार्रवाई की गई। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 06.08.2025

वीडीए ने सील किए तीन अवैध निर्माण

वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर मंगलवार को अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि भेलूपुर वार्ड के महमूरगंज में पार्वती सेठ स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कर रही थीं। जूना अखाड़ा के पास मुकेश सिंह चार मंजिल में अवैध निर्माण कर रहे थे। चेतसिंह किला शिवाला के पास आरिफ जमाल चार मंजिल में अवैध निर्माण कर रहे थे। (जासं)

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज—दि0 06.08.2025

अवैध प्लाटिंगपर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर वार्ड सारनाथ मौजा पियरीमें एक काश्तकार ३५ सौ वर्ग मीटरमें प्लाटिंग करते हुए विक्रय का काम शुरू कर दिया। काश्तकारने विकास प्राधिकरणमें लेआउट स्वीकृत करानेका आवेदन पत्र नहीं दिया था। वार्ड सारनाथमें ही मौजा चिरईगांव क्षेत्रमें एक दूसरे काश्तकारने १५ सौ वर्ग मीटर जमीनपर अवैध प्लाटिंगका कार्य किया था। यहांपर भी काश्तकारने विभागसे लेआउट स्वीकृत नहीं करायी थी। दोनों स्थानपर पहुंचे जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश, अवर अभियन्ता विनोद कुमार, क्षेत्रीय पुलिस और सुपरवाइजरकी देखरेखमें प्रवर्तन दलने जेसीबी के माध्यमसे प्लाटपर हो रहे निर्माण कार्यको ध्वस्त करा दिया। आराजी नम्बर ९८१ ऐढ़े वार्ड ५६ लालपुर मीरापुर बसहीमें एक व्यक्ति नालेपर अवैध निर्माण करा रहा था जिसकी शिकायत अनूपकुमार दुबेने विकास प्राधिकरणमें की। हालांकि संबंधित विषयमें ठोस काररवाई न होने पर निर्माण कार्यमें तेजी आयी है।

न्यायाधीश—दि0 06.08.2025

जोन-2 ,वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत दो अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी

वाराणसी । उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 05.अगस्त को जोन-2,वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत दो अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सारनाथ में अज्ञात द्वारा मौजा-पियरी सर्ववेद मंदिर के पीछे, थाना-चौबेपुर,जिला-

वाराणसी में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 3500 वर्ग मी0 में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश एवं अवर अभियंता विनोद कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।वार्ड-सारनाथ में अज्ञात द्वारा मौजा-चिरईगाँव बलुआ रोड पट्रोल पम्प के पीछे, थाना-चौबेपुर,जिला- वाराणसी में बिना लेआउट स्वीकृत कराए 1500 वर्ग मी0 में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश एवं अवर अभियंता विनोद कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।